न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/7)	03.02.2025	02.02.2026

अनवान

रतनलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. पटवारी हल्का सांखली, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :– सीएम जणवा — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राशमी के प्रकरण संख्या 171/2025 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के तहसीलदार राशमी तहसील राशमी प्रकरण संख्या 171/2025 अनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का सांखली बनाम रतनलाल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 16.01.2025 से असंतुष्ट होकर हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार राशमी के पत्रांक/राजस्व/2025/73 दिनांक 22.04.2025 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 171/2025 निर्णय दिनांक 16.01.2025 अनवानी सरकार बनाम रतनलाल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। प्रकरण में प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय मात्र दो सुनवाईयों के अन्दर अतिक्रमण की पत्रावली दर्ज कर निर्णित कर दी। किसी भी प्रकार से पटवार हल्का ने बयान एवं जिरह का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलार्थी द्वारा कब्जा स्वीकार नहीं किया न ही अपीलार्थी को प्रोपर सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए सीधे ही निर्णय पारित किया है। वह न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस स्थल के संबंध में अतिक्रमण की कार्यवाही की गई वह आबादी का क्षेत्र हो अपीलार्थी के परिवारजनों के नाम पर ग्राम पंचायत सांखली द्वारा पट्टा संख्या 004699 दिनांक 10.02.1999 को जारी किया गया है, उसके पश्चात् उस पर निर्मा किया जाकर आबादी के बीच में स्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि पर जारी किये गये पट्टे के संबंध में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है फिर भी क्षेत्राधिकार पर परे जाकर अपीलार्थी के खिलाफ बेदखली का जो आदेश/निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन कराया एवं बताया कि मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली की आराजी संख्या 660 रकबा 1.0279 हैक्टेयर किस्म भूमि रास्ता दर्ज रेकार्ड है, उक्त भूमि में से अपीलार्थी का रकबा 0.0132 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा होने से अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थिति प्रदान की गई। इसके साथ ही किस्म भूमि रास्ता दर्ज रेकार्ड होने से अपीलार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अनुसार उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार निहित नहीं अपीलार्थी का कब्जा किस्म भूमि रास्ता भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये, ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, राशमी के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन की ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रिन्टेड परफोर्मा में होकर उसके केवल खाना पूर्ति की गई है, न्यायालय ने अपना माईन्ड अप्लाई नहीं किया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय/आदेश निरस्त योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है, उसे कोई जवाब व बचाव के लिए अवसर नहीं दिया गया है, साथ ही पटवारी के बयान भी नहीं हुए एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमण भी प्रमाणित नहीं हुआ है तथा अपीलार्थी को कार्यवाही से बचने के लिए न्याय के सिद्धांतों के अनुसार न तो साक्ष्य न ही सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और सीधे ही आबादी क्षेत्र में स्थित पट्टेशुदा भूमि के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अन्त प्रार्थना की गई कि अपील प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी के द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.01.2025 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2025 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?**’’

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। आराजीयात जैरबहस बिलानाम दर्ज रेकार्ड है एवं राजकीय भूमि के हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार राशमी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधिक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार राशमी द्वारा अपीलार्थी को विधिक प्रावधानों के अध्यधीन अपीलार्थी को नोटिस जारी कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता के उपस्थित होने पर तहसीलदार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को परीक्षण करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2026 पारित किया जाना जाहिर होता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का प्रकरण की समुचित कर अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे जाने का तथ्य उठाया जाकर अतिक्रमित भूमि आबादी होने का तथ्य उठाया गया है कि इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आराजीयात जैरबहस जो कि अपीलार्थी की वर्तमान में अतिक्रमित भूमि है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवार हल्का सांखली से होती है, इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी पट्टा संख्या 004699 का तथ्य उठाया गया है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टा में आराजी संख्या 660 में जारी किया गया है, इस संबंध अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष साबित कराये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहे है।

अतिक्रमित भूमि पर लाखों की लागत लगाने का प्रश्न है, यहॉ उल्लेखनीय है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिपादित किया गया है कि बिलानाम/राजकीय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में लागत लगाने या भूमि सुधार करने या कब्जा पुराना होने से कोई भी अतिक्रमी भूमि का मालिक या भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा सिविल अपील संख्या **1132/2011 जगपाल सिंह** व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से निर्देश प्रदान किये गये है कि अवैधताओं को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के साझा हितों को केवल इसलिए प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि अनाधिकृत कब्ज़ा कई वर्षों से जारी है। यहॉ प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक होने से निजी उपयोग–उपभोग हेतु प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया लम्बे समय से कब्जे का तथ्य पूर्णतः सारहीन हो जाता है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2025 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, जिससे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2025 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 007/2025(रा.अ.) अनवानी रतनलाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 171/2025 निर्णय दिनांक 16.01.2025 अनवानी सरकार बनाम रतनलाल को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **02.02.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official